"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 39] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 29 सितम्बर 2017—आश्विन 7, शक 1939

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 5 सितम्बर 2017

क्रमांक ई 1-17/2017/एक-2.—भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के पत्र क्रमांक 36/01/2017-इओ (एसएम-I) दिनांक 31-08-2017 द्वारा डॉ. एन. बैजेन्द्र कुमार, भाप्रसे (सीजी:1985), को Chairman & Managing Director, National Mineral Development Corporation, Ministry of Steel के पद पर नियुक्ति की सूचना प्राप्त हुई है.

2. राज्य शासन द्वारा श्री एन. बैजेन्द्र कुमार भाप्रसे (सीजी:1985), अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नया रायपुर की सेवाऐं, भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली को सौंपी जाती है एवं श्री एन. बैजेन्द्र कुमार को नवीन पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु तत्काल प्रभाव से अपने वर्तमान दायित्वों से कार्यमुक्त किया जाता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.

नया रायपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2017

क्रमांक ई-1-1-2017/1/2.—राज्य शासन एतद्द्वारा डॉ. कमल प्रीत सिंह, भा.प्र.से. (2002), विशेष सचिव, वित्त विभाग तथा संचालक, संस्थागत वित्त को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त विशेष सचिव (स्वतंत्र प्रभार), वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए विशेष सचिव, वित्त विभाग तथा संचालक, संस्थागत वित्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

2. श्रीमती ऋतु सैन, भा.प्र.से. (2003), मिशन संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन तथा अपर विकास आयुक्त, विकास आयुक्त कार्यालय तथा प्रबंध संचालक, छ.ग. अधोसंरचना विकास निगम (सीआईडीसी), रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त विशेष सचिव, मंत्रालय के पद पर पदस्थ करता है.

3. श्री परदेशी सिद्धार्थ कोमल, भा.प्र.से. (2003), आयुक्त, छ.ग. गृह निर्माण मण्डल तथा आयुक्त, सह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त विशेष सचिव (स्वतंत्र प्रभार), ऊर्जा विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए आयुक्त, छ.ग. गृह निर्माण मण्डल का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

4. श्री अन्बलगन पी., भा.प्र.से. (2004), प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य विपणन संघ मर्यादित, रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ प्रबंध संचालक, छ.ग. अधोसंरचना विकास निगम (सीआईडीसी), रायपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

5. सुश्री अलरमेलमंगई डी., भा.प्र.से. (2004), संचालक, उद्योग तथा संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म एवं प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य खनिज विकास निगम को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त् संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म के पद पर पदस्थ करते हुए संचालक, उद्योग एवं प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य खनिज विकास निगम का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

6. श्री दीपक सोनी, भा.प्र.से. (2011), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जशपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त मिशन संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के पद पर पदस्थ करते हुए अपर विकास आयुक्त, विकास आयुक्त कार्यालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

7. श्री विनीत नंदनवार, भा.प्र.से. (2013), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, धमतरी को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, गरियाबंद के पद पर पदस्थ करता है.

8. श्री जगदीश सोनकर, भा.प्र.से. (2013), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, गरियाबंद को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, धमतरी के पद पर पदस्थ करता है.

9. श्री कुलदीप शर्मा, भा.प्र.से. (2014), अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बगीचा, जिला-जशपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जशपुर के पद पर पदस्थ करता है.

10. श्री संजय शुक्ला, भा.व.से. (1987), सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग तथा इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ आयुक्त सह संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

11. श्री आशीष कुमार भट्ट, भा.व.से. (1988), सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग तथा ऊर्जा विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सचिव, उच्च शिक्षा विभाग के पद पर पदस्थ करता है.

नया रायपुर, दिनांक 8 सितम्बर 2017

क्रमांक ई-1-1-2017/1/2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री हेमंत कुमार पहारे, भा.प्र.से. (2002), सचिव, छ.ग. लोक सेवा आयोग, रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त विशेष सचिव, संस्कृति एवं पर्यटन विभाग के पद पर पदस्थ करता है.

2. श्री चंद्रकांत उईके, भा.प्र.से. (2008), संयुक्त सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा संयुक्त संचालक, छ.ग. प्रशासन अकादमी को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त् सचिव, छ.ग. लोक सेवा आयोग, रायपुर के पद पर पदस्थ करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढाँड, मुख्य सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बस्तर, दिनांक 21 जुलाई 2017

क्रमांक क/भू-अर्जन/05/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	परपा प.ह.नं. 13	0.32	उप मुख्य अभियंता, (निर्माण) पूर्व तट रेल्वे, डी.आर.एस. काम्पलेक्स, डोन्डापरती, विशाखापटनम.	जगदलपुर से सिलक-झोड़ी तक डबल रेल लाईन निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर/उप मुख्य अभियन्ता (निर्माण) पूर्व तट रेल्वे विशाखापटनम के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धनंजय देवांगन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 10 अगस्त 2017

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 53/अ-82/2014-15.—उपर्युक्त भू-अर्जन प्रकरण में महाप्रबंधक एनटीपीसी तलाईपाली कोल माईनिंग परियोजना घरघोड़ा द्वारा ग्राम-कोतरलिया प.ह.नं.-37, तहसील व जिला-रायगढ़ की निजी भूमि कुल रकबा 22.724 हे. एनटीपीसी तलाईपाली कोल माईनिंग परियोजना के रेल लाईन हेतु भू-अर्जन के प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर भू-अर्जन अधिनियम के तहत धारा-11 (1) की अधिसूचना तथा धारा-19 की अधिसूचना का प्रकाशन प्रावधानों के अनुसार किया जाकर छत्तीसगढ़ राजपत्र में क्रमशः दिनांक 02-10-2015 तथा दिनांक 03-06-2016 को कराया गया है.

चूंकि अब महाप्रबंधक एनटीपीसी तलाईपाली कोल माईनिंग परियोजना घरघोड़ा के द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही हेतु सम्मिलित उक्त भूमि से कुल खसरा 52 कुल रकबा 5.956 हे. भूमि रेल लाईन में प्रभावित नहीं होने के फलस्वरूप भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त करने के अनुरोध पर भू-अर्जन अधिनियम की धारा-93 (1) के अनुसार प्रत्याहरण किया जाता है.

1. प्रत्याहरण हेतु भूमि का विवरण :—

ग्राम-कोतरलिया, प.ह.नं.-37

क्र. (1)	ख. नं. (2)	रकबा (3)	क्र. (4)	ख. नं. (5)	रकबा (6)	क्र. (7)	ख. नं. (8)	रकबा (9)
1.	558/4 से	0.016	19.	3/1 से	0.073	37.	82/3 से	0.137
2.	44/1 से	0.223	20.	1/56	0.202	38.	523 से	0.061
3.	212/2 से	0.053	21.	210/4 से	0.040	39.	516/1 से	0.028
4.	80/3	0.121	22.	72/1	0.016	40.	453/1, 454/1 से	0.162
5.	288 से	0.041	23.	207/1	0.032	41.	276/1 से	0.040
6.	3/14 से	0.137	24.	505/1 से	0.292	42.	277/2 से	0.648
7.	108/11	0.405	25.	282/3	0.061	43.	413 से	0.028
8.	1/31 क	0.131	26.	270/3 से	0.060	44.	80/2 से	0.175
9.	270/6 से	0.142	27.	68/1	0.060	45.	52 से	0.040
10.	278/6 से	0.182	28.	96 से	0.041	46.	282/2 से	0.048
11.	272/9, 273/9, 274/9 से	0.097	29.	272/5, 273/5, 274/5	0.154	47.	1/1 से	0.162
12.	270/7	0.024	30.	272/10, 273/10 274/10	0.073	48.	1/10 से	0.093
13.	453/8, 454/8 से	0.073	31.	567/1	0.081	49.	101/1	0.040
14.	1/8 से	0.053	32.	563/4 से	0.071	50.	214	0.065
15.	1/18 से	0.133	33.	218/9	0.035	51.	210/2	0.053
16.	3/16 से	0.041	34.	3/4 से	0.098	52.	1/27 से	0.303
17.	1/50	0.206	35.	1/57 से	0.029			
18.	1/25 से	0.296	36.	82/2 से	0.081			

कुल खसरा नं. 52 का रकबा 5.956 हे.

2. भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त किये जा रहे भूमि का ब्यौरा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शम्मी आबिदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 4 अगस्त 2017

क्रमांक/12769/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-बसंतपुर, प.ह.नं. 01
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.790 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
5/2	0.040
10/4	0.032
20/4	0.016

(1)	(2)
8	0.077
41/4	0.032
42	0.045
43/2	0.045
57/2	0.020
10/1	0.032
7	0.134
12	0.049
56	0.069
3	0.045
18/3	0.024
10/3	0.032
43/3	0.020
20/2	0.020
20/3	0.016
18/2	0.008
4/3	0.004
19/3	0.012
10/2	0.032
4/2	0.008
19/2	0.008
20/5	0.016
13	0.036
4/5	0.008
19/5	0.016
6/4	0.012
16/4	0.020
6/2	0.028
41/1	0.036
4/1	0.008
19/1	0.012
9	0.065
6/1	0.028
6/3	0.016
16/3	0.016
11	0.024
43/1	0.020
57/1	0.061
4/4	0.012
19/4	0.012
58/4	0.016
15/2	0.049
16/2	0.036
41/2	0.036
16/1	0.036
5/1	0.045
41/3	0.032
2/1 क	0.028
15/1	0.101
18/1	0.016
55/1	0.032
2/1 ख	0.028
14	0.012
2/2	0.047
योग 57	1.790

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोंहदी एनीकट निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 4 अगस्त 2017

क्रमांक/12771/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-हसौद, प.ह.नं. 29
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.194 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
371/9	0.045
371/15	0.036
371/16	0.089

	(1)	(2)
	375/4	0.024
योग	04	0.194

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गुजियाबोर एनीकट निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 4 अगस्त 2017

क्रमांक/12773/अ-82/2017.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-सेन्दरी, प.ह.नं. 17
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.081 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	937/11, 938/11	0.081
योग	01	0.081

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सेन्दरी माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 4 अगस्त 2017

क्रमांक/12775/अ-82/2017.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-रायपुरा, प.ह.नं. 04
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.246 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	101/15	0.008
	101/19	0.020
	101/36	0.016
	101/37	0.008
	174/4	0.113
	174/5	0.081
योग	06	0.246

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-तांदुलडीह माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 16 अगस्त 2017

क्रमांक/13141/अ-82/2017.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-जांजगीर-चांपा
 (ख) तहसील-मालखरौदा
 (ग) नगर/ग्राम-बड़े सीपत, प.ह.नं. 12
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.450 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1137/2	0.045
	86/9	0.085
	450/1	0.049
	451/3	0.053
	106/4, 109/4	0.032
	107/1, 107/2	0.032
	452	0.004
	454/1	0.012
	455	0.016
	435/7	0.061
	435/6	0.061
योग	11	0.450

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रबेली उपवितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 16 अगस्त 2017

क्रमांक/13143/अ-82/2017.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-जांजगीर-चांपा
 (ख) तहसील-मालखरौदा
 (ग) नगर/ग्राम-चारपारा, प.ह.नं. 04
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.226 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	254/1	0.113
	254/3	0.113
योग	02	0.226

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-नगझर माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 सितम्बर 2017

क्रमांक/14221/अ-82/2017.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-जांजगीर-चांपा
 (ख) तहसील-मालखरौदा
 (ग) नगर/ग्राम-भड़ोरा, प.ह.नं. 14
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.045 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	590/4	0.045
योग	1	0.045

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भड़ोरा माईनर नं. 01 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 सितम्बर 2017

क्रमांक/14223/अ-82/2017.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-जांजगीर-चांपा
 (ख) तहसील-मालखरौदा
 (ग) नगर/ग्राम-सोनादुला, प.ह.नं. 02
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.053 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	700/3	0.053
योग	1	0.053

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कटारी माईनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 सितम्बर 2017

क्रमांक/14225/अ-82/2017.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-जांजगीर-चांपा
 (ख) तहसील-मालखरौदा
 (ग) नगर/ग्राम-बंदोरा, प.ह.नं. 07
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.061 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1024/1	0.061
योग	1	0.061

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-करीगांव माईनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. भारतीदासन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, दन्तेवाड़ा (छ.ग.)

दन्तेवाड़ा, दिनांक 30 अगस्त 2017

क्रमांक 140/बचेली-किरंदुल व.भू.-उप/न.ग्रा.नि./2017.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अनुसरण में बचेली-किरंदुल निवेश क्षेत्र का वर्तमान भूमि उपयोग संबंधित मानचित्र एवं रजिस्टर का प्रकाशन की सूचना क्रमांक 15/बचेली-किरंदुल व.भू./नग्रानि/2017 दन्तेवाड़ा, दिनांक 13 जनवरी 2017 द्वारा किया गया था.

अत: एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (3) के अधीन बचेली-किरंदुल निवेश क्षेत्र में सम्मिलित ग्रामों का वर्तमान भूमि उपयोग एवं रजिस्टरों को तदानुसार सम्यक रूप से दिनांक 29-05-2017 को अंगीकृत किया जाता है, तथा उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (4) के अनुसार में इस सूचना को छ.ग. राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है जो इस बात का साक्ष्य होगा, कि उक्त मानचित्र सम्यक रूप से तैयार एवं अंगीकृत कर लिया गया है.

अनुसूची

बड़े बचेली-किरंदुल निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम बड़े बचेली एवं आरक्षित वन की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम किरंदुल, कड़मपाल, पीना बचेली एवं बड़े बचेली की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में : आरक्षित वन, किरंदुल की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में : आरक्षित वन की पश्चिमी सीमा तक.

उक्त अंगीकृत मानचित्र एवं रजिस्टर छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के लिए निम्नलिखित स्थान पर सार्वजनिक अवलोकन हेतु कार्यालयीन समय में अवकाश के दिन छोड़कर खुला रहेगा.

निरीक्षण स्थल :— कार्यालय नगर पालिका परिषद् बड़े बचेली-किरंदुल.

No. 140/Bade Bacheli/kdl.E.L.U./T&CP/2017.—The existing land use map and register for the Bade Bacheli-Kirandul Planning Area was published under sub section (1) of section 15 of Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (No. 23 of 1973) vide notice No. 15/Bade bacheli/kdl.E.L.U./T.C.P./2017 dantewada, dated 13-01-2017.

Therefore a notice is hereby given for the general information of the public that Existing Land use Map and Register of Bade bacheli-Kirandul Planning Area prepared and published are duly adopted under the Provision of sub-section (3) of the section 15 of the said Adhiniyam and a copy of the notice is also sent for its publication in Chhattisgarh Gazette under the provision of sub-section (4) of section 15 of the said Adhiniyam, which shall be conclusive evidence of the fact that the above maps and registers has been duly prepared and adopted on dated 29-05-2017.

SCHEDULE

Limit of Bade Bacheli-Kirandul Planning Area

NORTH : Village Bade bacheli, reserved forest upto the northern limit.
EAST : Village Kirandul, Kadampal, Pani Bacheli and bade Bacheli upto the eastern limit.
SOUTH : Village reserved forest and Kirandul upto the southern limit.
WEST : reserved forest upto the western limit of village.

The said adopted maps and reister shall be available for inspection for general public at following place during office hours for a period of 15 days from the publication of the notice in the Chhattisgarh Gazette.

Place of Inspection :— Office Nagar Palika Parishad Bade Bacheli-Kirandul.

आलोक चन्द्र बैसवाड़े,
सहायक संचालक.

कार्यालय, उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

जगदलपुर, दिनांक 23 अगस्त 2017

क्रमांक 1279/भैरमगढ़ व.भू./न.ग्रा.नि./2017.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) की अनुसरण में भैरमगढ़ निवेश क्षेत्र का वर्तमान भूमि उपयोग संबंधित मानचित्र एवं रजिस्टर का प्रकाशन सूचना क्रमांक 296/भैरमगढ़ व.भू./नग्रानि/2017 जगदलपुर, दिनांक 7 मार्च 2017 द्वारा किया गया था.

अब एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (3) के अधीन भैरमगढ़ निवेश क्षेत्र में सम्मिलित ग्रामों का वर्तमान भूमि उपयोग एवं रजिस्टरों को तदानुसार सम्यक रूप से दिनांक 17-07-2017 को अंगीकृत किया जाता है, तथा उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (4) के अनुसार में इस सूचना को छ.ग. राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है, जो इस बात का साक्ष्य होगा कि, उक्त मानचित्र सम्यक रूप से तैयार एवं अंगीकृत कर लिया गया है.

अनुसूची

भैरमगढ़ निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम भटवाड़ा एवं ग्राम मंगलनार की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम मंगलनार व भैरमगढ़ एवं ग्राम पुसनार की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम भैरगढ़ की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम भैरमगढ़ एवं भटवाड़ा की पश्चिमी सीमा तक.

उक्त अंगीकृत मानचित्र एवं रजिस्टर छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के लिए निम्नलिखित स्थान पर सार्वजनिक अवलोकन हेतु कार्यालयीन समय में अवकाश के दिन छोड़कर खुला रहेगा.

निरीक्षण स्थल :— कार्यालय नगर पंचायत भवन, भैरमगढ़.

No. 1279/Bijapur E.L.U./T&CP/2017.—The existing land use map and register for the Bijapur Planning Area was published under sub section (1) of section 15 of Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (No. 23 of 1973) vide notice No. 296/Bhairamgarh.E.L.U./T.C.P./2017 Jagdalpur, dated 7 March 2017.

Therefore a notice is hereby given for the general information of the public that Existing Land use Map and Register of Bhairamgarh Planning Area prepared and published are duly adopted under the Provision of sub-section (3) of the section 15 of the said Adhiniyam and a copy of the notice is also sent for its publication in Chhattisgarh Gazette under the provision of sub-section (4) of section 15 of the said Adhiniyam, which shall be conclusive evidence of the fact that the above maps and registers has been duly prepared and adopted on dated 17-07-2017.

SCHEDULE

Limits of Bhairamgarh Planning Area

NORTH : Village Bhatwada and Mangalnar to the northern limit.
EAST : Village Mangalnar, Bhairamgarh and village pusnar upto the eastern limit.
SOUTH : Village Bhairamgarh upto the southern limit.
WEST : Village Bhairamgarh and Bhatwada upto the western limit.

The said adopted maps and register shall be available for inspection for general public at following place during office hours for a period of 15 days from the publication of the notice in the Chhattisgarh Gazette.

Place of Inspection :— Nagar Panchayat Bhavan, Bhairamgarh.

डी. के. बघेल,
प्र. उप संचालक.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 30th June 2017

No. 45/L.G./2017/II-3-65/2001.—Shri Jagdamba Rai, District & Sessions Judge, Dhamtari is hereby, granted earned leave for 03 days i.e. on 30-03-2017, 31-03-2014 & 03-04-2017 along with permission to remain out of headquarters after the Court hours of 29-03-2017 till before the Court hours of 04-03-2017 & earned leave for 04 days from 18-05-2017 to 21-05-2017 with summer vacation along with permission to remain out of headquarters and earned leave for 04 days from 06-06-2017 to 09-06-2017 in continuation of summer vacation along with permission to remain out of headquarters.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Rai, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 292 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 30th June 2017

No. 46/L.G./2017/II-3-19/2008.—Shri N. K. Chandrawanshi, District & Sessions Judge, Surguja at Ambikapur is hereby, granted earned leave for 04 days from 04-06-2017 to 07-06-2017 in continuation of summer vacation along with permission to leave remain out of headquarters.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Chandrawanshi, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+11 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 30th June 2017

No. 48/L.G./2017/II-2-4/2005.—Shri Manish Kumar Naidu, Special Judge (Atrocities), Raigarh is hereby granted commuted leave for 09 days from 17-04-2017 to 25-04-2017 along with permission to leave headquarters from 14-04-2017 to 25-04-2017.

During the period of commuted leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Naidu, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 336 days of half-pay leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 30th June 2017

No. 49/L.G./2017/II-2-10/2007.—Shri K. Vinod Kujur the then Judge, Family Court, Kabirdham (Kawardha) is hereby, granted earned leave for 06 days form 20-03-2017 to 25-03-2017 along with permission to leave headquarters from 18-03-2017 to 26-03-2017.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Kujur, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 285 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 30th June 2017

No. 50/L.G./2017/II-2-6/2007.—Shri Nirmal Minj, District & Sessions Judge, Rajnandgaon is hereby, granted commuted leave for 10 days form 24-04-2017 to 03-05-2017.

During the period of commuted leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Minj, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 479 days of half-pay leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 30th June 2017

No. 51/L.G./2017/II-2-4/2014.—Shri Sanjay Kumar Jaiswal, the then District & Sessions Judge Balod is hereby, granted earned leave for 03 days from 27-04-2017 to 29-04-2017 along with permission to leave headquarters after the office hours of 26-04-2017 till 30-04-2017.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Jaiswal, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 279 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 30th June 2017

No. 52/L.G./2017/II-2-43/2004.—Shri Prabhat Kumar Shastri, Judge, Family Court, Manendragarh, District-Koruya is hereby, granted earned leave for 05 days from 08-05-2017 to 12-05-2017 along with permission to remain out of headquarters from 07-05-2017 to 14-05-2017.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Shastri, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 292 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 30th June 2017

No. 53/L.G./2017/II-3-29/2012.—Smt. Sushma Sawant, District & Sessions Judge, Mahasamund is hereby, granted earned leave for 04 days from 17-04-2017 to 20-04-2017 along with permission to leave headquarters from the evening of 13-04-2017 to 20-04-2017.

During the period of earned leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Smt. Sawant, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 252 days of earned leave are remaining in her leave account as on date.

Bilaspur, the 30th June 2017

No. 54/L.G./2017/II-3-10/2005.—Smt. Minakshi Gondaley the then District & Sessions Judge, Surajpur is hereby, granted earned leave for 08 days form 17-06-2017 to 24-06-2017 in continuation of summer vacation along with permission to leave headquarters.

During the period of earned leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Smt. Gondaley, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 160 days of earned leave are remaining in her leave account as on date.

Bilaspur, the 30th June 2017

No. 55/L.G./2017/II-3-4/2008.—Shri Neelam Chand Sankhla, Disrtict & Sessions Judge, Raipur is hereby, granted earned leave for 02 days on 08-05-2017 & 09-05-2017.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Sankhla, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 252 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 30th June 2017

No. 56/L.G./2017/II-3-4/2010.—Smt. Rajni Dube, Registrar (vigilance), High Court of Chhattisgarh, Bilaspur, is hereby, granted eaenred leave for 06 days from 17-04-2017 to 22-04-2017 along with permission to leave headquarters from the evening of 13-04-2017 till 23-04-2017.

During the period of earned leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Smt. Dube, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 100 days of earned leave are remaining in her leave account as on date.

Bilaspur, the 30th June 2017

No. 57/L.G./2017/II-3-13/2007.—Shri N. D. Tigala, the then District & Sessions Judge, Raigarh is hereby granted earned leave for 02 days from 27-06-2017 & 28-06-2017 along with permission to leave headquarters from the evening of 25-06-2017 till the evening of 28-06-2017.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Tigala, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 290 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

By order of the High Court,
OMPRAKASH SINGH CHAUHAN, Additional Registrar (ADMN.).